

केन्द्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद राज्य प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय बलों को घटना स्थल पर न पहुंचाने देने के परिणामस्वरूप राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को पूर्ण रूप से गिरा दिया गया।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में स्थिति काफी नाजुक थी क्योंकि 2 लाख से अधिक कार सेवक अभी भी अयोध्या में मौजूद थे और उनमें से अनेक विद्रोहपूर्ण अथवा उत्तेजित मनः स्थिति में थे।

इस स्थिति को देखते हुए, यह निश्चय किया गया कि 7 और 8 दिसम्बर, 1992 की रात को बल वहां भेजे जाएं जिससे कि कम से कम बल प्रयोग हो।

तदनुसार कारंवाई की गई और राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद क्षेत्र शीघ्रता से अधिकार में ले लिया गया।

यह बताया गया कि ढांचा गिराए जाने के दौरान राम लला की मूर्तियों को हटा लिया गया था; बाद में इन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया था तथा वहां पूजा और भजन कीर्तन किए जाने लगे।

6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं के बाद राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर सहित अयोध्या में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन नवम आज्ञा लागू कर दी गई थी और तदनुसार गतिविधियों को विनियमित किया जा रहा है।

Cheating by TSR Drivers in Delhi

4103. SHRI CHATURANAN MISHRA:

SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news cap-

tioned "7 Russians cheated of £ 300" which appeared in the Statesman dated the 27th October, 1992;

(b) if so, what steps are being taken to book the culprits; and

(c) what steps are proposed to be taken to check to menace of TSR drivers in front of the important hotels in the capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB):

(a) Yes, Sir.

(b) Two cases vide FIR Nos. 741 dated 23.10.92 and 746 dated 24-10-92 under sections 420/34 IPC were registered at Police Station, Cannaught Place, New Delhi and 8 accused persons arrested.

(c) Foot/mobile patrolling has been intensified around important Hotels in Delhi

उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के लिये शिक्षण-केन्द्र

4104. श्री राम नरेश यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन बाल श्रमिकों के लिये संस्थाओं द्वारा कोई शिक्षण-केन्द्र स्थापित किये गये हैं और शिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें और अधिक उपयोगी बनाने के लिये राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता दी जाती है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश